सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. NCST/SER-957/JH/20/2023-SSW Dated: 10/07/2024

To,

श्री ए.के. सिंह,
प्रमुख सचिव,
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,
झारखंड सरकार,
भूमि तल, नेपाल हाउस, दौरंदा, रांची,
(झारखंड) - 834002
(Tel. No: 0651-2491033)

Sub: अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के साथ रिनपास, रांची के निदेशक द्वारा प्रताडित करने के संबंध में - डॉ सुभाष सोरेन, अपर प्राध्यापक मनोचिकित्सा विभाग रिनपास, रांची का दिनांक 27.03.2023 का अभ्यावेदन

महोदय,

I am directed to enclosed herewith copy of the minutes of Sitting held under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 14.06.2024 at 02:00 PM in Hotel BNR, Chanakya, Ranchi on the above mentioned subject.

It is requested that action taken/ to be taken in the matter may be submitted with stipulated time for placing it before the Hon'ble Member, NCST.

Yours faithfully,

(आर.एस.मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
Ph No. 011-24641640

Copy to:-

डॉ सुभाष सोरेन,
अपर प्राध्यापक मनोचिकित्सा विभाग रिनपास,
रांची, (झारखंड) – 245030

Copy for information to:-

1. PS to Hon'ble Member (Dr. A.L), NCST
2. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के साथ निदेशक, रिनपास, रांची द्वारा प्रताड़ित करने के संबंध में, डॉ सुभाष सोरेन, अपर प्राध्यापक मनोचिक्त्सिा विभाग रिनपास, रांची के दिनांक 27.03.2023 का अभ्यावेदन – डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 14.06.2024 को 02.00 बजे, होटल BNR चाणक्य, रांची में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत।

फ़ाइल संख्या : NCST/SER-957/JH/20/2023-SSW

बैठक की तिथि : 14.06.2024 को 02.00 बजे

स्थान: होटल BNR चाणक्य, रांची।

प्रतिभागियों की सूची संलग्न है

डॉ सुभाष सोरेन, अपर प्राध्यापक मनोचिक्त्सिा विभाग, रिनपास, रांची ने दिनांक 27.03.2023 के अभ्यावेदन बताया कि उनके साथ वर्तमान प्रभारी निदेशक, रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान, (रिनपास), रांची द्वारा प्रताडित किया जा रहा है। उन्हे बार-बार फसाने की कोशिश की जा रही है। अन्य अधिकारियों की तरह जब उन्होने सहायक की मांग की तो कहा गया कि आपको सहायक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप तो जेल में रहेंगे। उन्होनें यह भी बताया की दिनांक 04.04.2022 से 11.05.2022 का वेतन नहीं दिया गया एवं घर पर दिये गए सफाई कर्मी को भी हटा दिया गया।

प्रकरण में आयोग ने सम-संख्यक नोटिस दिनांक 21.07.2023 के द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, झारखंड सरकार, रांची को तथ्य तथा आख्या प्रस्तुत करने का आग्रह किया, जिसकी रिपोर्ट अप्राप्त थी। NCST ने इस प्रकरण पर दिनांक 14.06.2024 को 2:00 बजे प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार, रांची और आवेदक के साथ, रांची में चर्चा करने का निर्णय लिया है। इसकी सूचना संबंधित अधिकारी तथा आवेदक को समसंख्यक नोटिस एंव पत्र दिनांक 04.06.2024 द्वारा भेज दी गयी।

बैठक में प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार एवं अवर सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार तथा आवेदक उपस्थित हुए। आवेदक ने बताया की वर्तमान निदेशक द्वारा लगातार अत्याचार किया जा रहा है जिससे मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करता हूँ तथा समय समय पर झूठे मामलों में फसाने की धमकी दी जाती है, जिससे सामाजिक स्थिति खराब होने का भी डर रहता है।

स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार के अधिकारियों ने प्रकरण में की गयी कार्यवाई की रिपोर्ट उपलब्ध करायी। कार्यवाई रिपोर्ट में, निदेशक, रिनपास का पत्र दिनांक 18.07.2023 जो उप-सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार, रांची को संबोधित है की प्रति भी उपलब्ध करायी, जिसमें बताया कि आवेदक द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं।

आयोग ने यह पाया कि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है जो एक गंभीर विषय है। संबन्धित विभाग के उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि आवेदक के साथ विभाग द्वारा न्याय किया जाएगा।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, आयोग ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार, रांची को सलाह दी कि प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए एक समिति का गठन करें, जिसमें एक अनुसूचित जनजाति का वरिष्ठ कर्मचारी भी शामिल हो एवं वह 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। समिति गठन की सूचना, आवेदक को भी उपलब्ध करायी जाये। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार, रांची द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाई की सूचना, सिटिंग के 15 दिन के भीतर आयोग को उपलब्ध कराएं।

आशा लकड़ा

...शा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
.../Member
...ment of India

Annexure

डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 14.06.2024 को 2:00 बजे, रांची में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के साथ रिनपास, रांची के निदेशक द्वारा प्रताडित करने के संबंध में - डॉ सुभाष सोरेन, अपर प्राध्यापक मनोचिकित्सा विभाग रिनपास, रांची प्रकरण में उपस्थित अधिकारियों की सूची ।

I	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार,
	श्री ए.के. सिंह, प्रमुख सचिव
II	आवेदक
	डॉ सुभाष सोरेन